CITIZENS' / CLIENTS' CHARTER
(नागरिक अधिकार पत्र)

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
संसदीय कार्य विभाग
राजस्थान सरकार

BACKGROUND & LOCATION

संसदीय कार्य विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना मूलतः सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप वर्ष 1971 में की गयी। विभाग राजस्थान विधान सभा के प्रशासनिक एवं सम्पर्क विभाग के रूप में कार्य करता है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन निर्मित राजस्थान कार्यविधि नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

संसदीय कार्य विभाग का कार्यालय कमरा संख्या 1002–1003, मुख्य भवन, ग्राउण्ड फ्लोर, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर में स्थित है। संसदीय कार्य विभाग का कोई अनुभाग नहीं है।

VISION

संसदीय कार्य विभाग अपने उपयोगकर्त्ताओं, जैसे राजस्थान विधान सभा के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ राज्य सरकार के विभागों, संगठनों को त्रुटिरहित सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है।

MISSION

संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान विधान सभा और राज्य सरकार के परस्पर संवाद को बेहतर एवं सुविधाजनक बनाने हेतु कार्य करता है –

- सदन में राज्य सरकार के कामकाज की योजना बनाना, समन्वय करना एवं निगरानी करना
- मंत्रालयों/ विभागों को उनके संसदीय/ विधायी कार्य को प्रभावी ढंग से करने में मदद करना
- सदन द्वारा सरकार को दिए गए सामान्य प्रकृति के निर्देशों, संकल्पों आदि के संबंध में सरकार की ओर से सक्रिय और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना
- विधान सभा सदस्यों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और हित संबंधी नीतियों का निर्धारण

CLIENTS

संसदीय कार्य विभाग राजस्थान विधान सभा का प्रशासनिक एवं सम्पर्क विभाग है, अतः इस विभाग का जनता से सीधा संबंध नहीं है। विभाग के मुख्य उपयोगकर्त्ता हैं –

- राजस्थान विधान सभा सचिवालय
- राजस्थान विधान सभा सदस्य
- राजस्थान विधान सभा के अधिकारी एवं कर्मचारी
- राजस्थान सरकार के विभाग एवं संगठन
- केन्द्र सरकार एवं उसके अधीन विभाग एवं संगठन
- राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन

SERVICES

राजस्थान विधान सभा सचिवालय को सेवाएं

- विधान सभा का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान की तारीखें या उसे भंग करना तथा विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण
- विधान सभा की योजना एवं समन्वय और सदन में अन्य सरकारी कारोबार

राजस्थान विधान सभा के अधिकारी एवं कर्मचारी गण को सेवाएं

- कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग को आवंटित मामलों के सिवाय विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित समस्त स्थापन मामले

राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यगण को सेवाएं

- विधान सभा सदस्यों, प्रतिपक्ष के नेताओं, विभिन्न राजनैतिक दलों/समूहों के नेताओं और सचेतकों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में समय–समय पर आवश्यकतानुसार नीति निर्धारण और उनमें संशोधन करना

- सदस्यों द्वारा प्रश्नों के माध्यम से या सदन में बहस के दौरान उठाए गए मामलों के दौरान सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की क्रियान्विति विषयक सूचना के बारे में अवगत कराना
- सदस्यों को उनके कल्याण से संबंधित मामलों, जैसे – सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों एवं बोर्ड आदि में नामांकन – के संबंध में सहायता प्रदान करना
- माननीय सदस्यों के राजकीय आवासों के परिवर्तन/ परिवर्द्धन का कार्य
- अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सदस्यों की विशेषज्ञता और सेवाओं का उपयोग करते हुए अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमण्डलों को प्रायोजित करना
- सदस्यों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव इत्यादि के जवाब हेतु सामग्री भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ सम्पर्क करना

राजस्थान सरकार के विभागों एवं संगठनों को सेवाएं

- प्रक्रियात्मक और अन्य संसदीय मामलों पर विभागों को सलाह देना
- राज्य सरकार के समस्त अन्य विभागों के साथ विधान सभाई कार्यों यथा – आश्वासन, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा की गई निरूक्तियों, प्रक्रिया नियम 50, 131 एवं 295 के अन्तर्गत प्रस्तावों के संबंध में समन्वय एवं मॉनिटरिंग का कार्य
- मंत्रिमण्डल की संसदीय और विधिक कार्य समिति को सचिवालयिक सहायता
- मुख्य सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों का क्रियान्वयन
- राज्य सरकार के चाहे जाने पर विभिन्न राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से माननीय विधायकगणों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में उनकी नीतियों का विवरण प्राप्त करने हेतु पत्राचार करना

केन्द्र सरकार एवं उसके अधीन विभागों/ संगठनों एवं विभिन्न राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सेवाएं

- लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय द्वारा माननीय सांसदों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में तथ्यात्मक सूचना चाहे जाने पर आवश्यक कार्यवाही करना
- विभिन्न राज्य सरकारों/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को माननीय विधायकगणों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में राजस्थान सरकार की नीतियों का विवरण चाहे जाने पर उपलब्ध कराना

COMMITMENTS

संसदीय कार्य विभाग राजस्थान विधान सभा सचिवालय एवं राज्य सरकार के मध्य निरन्तर समन्वय के लिए, सत्र के दौरान सदन के सहज संचालन एवं राज्य सरकार के समस्त विभागों के स्तर से किसी भी प्रकार के विधान सभाई कार्यों यथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों एवं आश्वासन आदि की लम्बित स्थिति के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है।

REDRESSAL OF GRIEVANCES

सेवा मानकों के गैर–अनुपालन के मामले में, सेवा प्राप्तकर्त्ता/ हितधारक निम्नलिखित लोक शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं :–

श्री प्रेमनारायण,
वरिष्ठ शासन उप सचिव,
संसदीय कार्य विभाग,
कमरा संख्या – 1016, मुख्य भवन,
ग्राउण्ड फ्लोर, शासन सचिवालय, जयपुर।
Tel: 2227610 ; E-mail: pad@rajasthan.gov.in

ESCALATION OF GRIEVANCES

यदि शिकायत का अंतिम रूप से निवारण नहीं होता है, तो इसे निम्नलिखित प्राधिकारी के समक्ष उच्चतम स्तर पर उठाया जा सकता है :–

श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं संसदीय कार्य विभाग,
कमरा संख्या – 1012, मुख्य भवन,
ग्राउण्ड फ्लोर, शासन सचिवालय, जयपुर।
Tel: 2227531, 2227916
E-mail: law.dept@rajasthan.gov.in